FINANCE DEPARTMENT

(REGULATIONS)

The 10th November, 1989

No. 3(4)-2891-2FG-II-83.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume I, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Financial Volume I (Haryana Third Amendment) Rules, 1989.

2. In the Punjab Financial Rules, Volume I, in rule 19.9 for Serial No. 23 and entries thereagainst, the following serial No. and entries thereagainst shall be substituted, namely:—

"23. To incur expenditure from the allotment under head "2245—Relief on account of natural calamities.	(i) Deputy Commissioners	Upto Rs 5,000 in any one case but not exceeding Rs. 1. 5. lakh in a year, provided the amount is spent to meet the demand arising out of famine in the State and also for the relief of distress caused by serious drought, floods, fire, earthquake or other natural calamities in accordance with the instructions issued by the Govt. from time to time.
	(ii) Divisional Commissioners	Upto Rs. 10,000 in any one case but not exceeding Rs 5.00 lakhs in a year, provided the amount is spent to meet the demands arising out of famine in the State and also for the relief of distress caused by serious drought, floods, fire, earth-quake or other natural calamities in accordance with the instructions issued by the Govt. from time to time.
	(iii) Financial Commissioner Revenue.	Upto a limit of Rs 20,000 in any one case, provided the amount is spent to meet the demands arising out of famine in the State and also for the relief of drought, floods, fire, earthquake or other natural calamities in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

B. S. OJHA,

Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

Dated, Chandigarh, the
10th November 1989.

वित्त विभाग

(वित्तियम)

दिनांक 10 नवम्बर, 1989

सं० 3(4)-2891-2 एफ०जी०-II-83.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा पंजाब वित्त नियम, जिल्द-I को आगे संशोधित करने हेतु उन्हें हरियाणा राज्यार्थ लागू करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

ये नियम पंजाब वित्त नियम (हरियाणा तृतीय संशोधन) जिल्द-I, नियम 1989 कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब वित्त नियम, जिल्द-I, नियम, 19.9 में क्रमांक सं० 23 और उसके सामने की प्रविशिष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम० स० और पविशिष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : —

23. शीर्ष-2245—प्राकृतिक आपदाओं के मद राहत" के अधीन आबंटन से खर्च उपगत करने के लिए।	(1) उपायुक्त	किसी भी एक मामले में 5000 रुपये तक किन्तु एक वर्ष में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं परन्तु यदि राशि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य में अकाल से उत्पन्न मांगों को पूरा करने और गम्भीर सूखे बाढ़ों, आग, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए कष्ट से राहत के लिए भी खर्च की जाती है ।
	(2) मंडलीय आयुक्त ।	किसी भी एक मामले में 10,000 रुपये तक, किन्तु एक वर्ष में 5.00 लाख रुपये से अधिक नहीं, परन्तु यदि राशि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य में अकाल से उत्पन्न मांगों को पूरा करने और गम्भीर सूखे, बाढ़ों, आग, भूकम्प, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए कष्ट से राहत के लिये भी खर्च की जाती है ।
	(3) वित्तायुक्त राजस्व	किसी भी एक मामले में 20,000 रुपये तक, परन्तु यदि राशि सरकार द्वार । समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य में अकाल से उत्पन्न मांगों को पूरा करने और गम्भीर सूखे, बाढ़ों, आग, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए कष्ट से राहत के लिए भी खर्च की जाती है ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 10 नवम्बर, 1989

बी० एस० ओझा,
सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
BUILDINGS AND ROADS BRANCH

CIRCLE BHIWANI

The 30th November, 1989

No. Z-42A/699/D.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by the Government, at public expense, for public purpose, namely, constructing a road from Bijana to Chandani Road, Tehsil Dadri, District Bhiwani, it is hereby notified that the land described in the specification below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by aforesaid section, the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may within thirty days of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Public Works Department, Buildings and Roads Branch, Bhiwani or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Bhiwani

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.	Remarks
Bhiwani	Dadri	Chandani	65	2.23	326, 328, 329, 474, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 366, 365, 379, 380, 361, 363, 369, 368, 367, 471, 473, 475, 476, 477, 478, 474, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 490, 488, 489, 390, 391, 392, 393, 486, 396, 397, 398, 399, 394, 395, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518. 519, 520, 521	
			Total ..	2.23		

(Sd.) . . ,,

Superintending Engineer,
Bhiwani Circle, P.W.D., B&R. Branch,
Bhiwani.

लोक निर्माण विभाग

भवन एवं सड़क शाखा

भिवानी वृत

दिनांक 30 नवम्बर, 1989

No. Z-42A/699/D.—क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनिक तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी में विजाना से चन्दानी सड़क तक सड़क के निर्माण हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतः यह अधिसूचना किया जाता कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित हैं ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर, कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप से जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, भिवानी और जिला रिवेन्यू ओफिसर-कम-लैण्ड इक्वीजेशन कलैक्टर, भिवानी, हिसार के समक्ष दायर कर सकता है ।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	मुस्तील नं०	किला नं०
भिवानी	दादरी	चन्दानी	65	2.23	326, 328, 329, 474, 331, 332, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 366, 365, 361, 363, 369, 368, 379, 380, 367, 473, 475, 476,	

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	मुस्तील नं०	किला नं०
भिवानी	दादरी	चन्दानी— समाप्त	65— समाप्त	2.23— समाप्त	477, 478, 471, 474, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 390, 391, 392, 393, 486, 396, 397, 398, 399, 394, 395, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521	
		जोड़		2.23		

(हस्ताक्षर) . . .,

अधीक्षक अभियन्ता,

भिवानी परिमण्डल, लो० नि० वि०, भ० तथा स० शाखा,

भिवानी (हरियाणा) ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 4 दिसम्बर, 1989

क्रमांक 1012-ज-(II)-89/33909.—श्री हरि सिंह, पुत्र श्री मानी राम, निवासी गांव महड़ा, तहसील दादरी जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(IA) तथा 3(IA) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2301-ज-72/22274, दिनांक 14 जून, 1972 द्वारा 100 रुपय वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री हरि सिंह की दिनांक 10 जून, 1986 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम, जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक उसमें संशोधन किया गया है की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को हरि सिंह को विधवा श्रीमती सधी के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1013-ज II-89/33913.—श्री बिजे सिंह, पुत्र श्री सेढू राम, निवासी गांव सपसपुर, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए), (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 40-ज-1-72/15692, दिनांक 1 मई, 1972 द्वारा 100/-रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150/- रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150/- रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बिजे सिंह की दिनांक 28 जनवरी, 1986 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बिजे सिंह की विधवा कमला के नाम खरीफ, 1986 से 300/- रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।